न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 05/2020/अपील

1. ग्यारसी देवी पुत्री नाथूराम पत्नि मोहन लाल जाति जाट निवासीनी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर, हाल आबाद पतिगृह ग्राम बिड़ोली तहसील धोद जिला सीकर।
2. बरजी देवी पुत्री नाथूराम पत्नि डूंगाराम जाति जाट निवासीनी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर, हाल आबाद पतिगृह ग्राम रघुनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. मोहनीदेवी पुत्री नाथूराम पत्नि मानाराम जाति जाट निवासीनी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर, हाल आबाद पतिगृह ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अपीलांट्स

बनाम

1. रामाकिशन पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. राजेन्द्र प्रसार पुत्र स्व0 जगदीश
3. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 जगदीश
4. महेश कुमार पुत्र स्व0 जगदीश
5. रामादेवी पत्नि स्व0 जगदीश
   समस्त जाति जाट निवासीगण चन्देली का बास (धोलासरी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. कंवरी देवी पुत्री नाथूराम पत्नि नारायण लाल खींचड़ जाति जाट निवासीनी चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर, हाल आबाद पतिगृह ग्राम खींचड़ों की ढाणी(खूड़) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. भींवाराम मुवाल पुत्र जगूराम जाति जाट
8. महेश कुमार पुत्र जगूराम जाति जाट निवासीगण काबरियावास(दांता) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. ग्राम पंचायत धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धोलासरी।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 71 दिनांकित निल द्वारा ग्राम पंचायत धोलासरी पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर।

उपस्थिति–

1. **श्री शिवपाल सिंह वकील अपीलांट्स की ओर से।**
2. **श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या वकील रेस्पोडेन्ट्स 1 की ओर से।**
3. **शेष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।**

निर्णय **दिनांक – 11.09.2023**

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 आपस में भाई–बहिन है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के भाई के पुत्रान एवं पत्नि है। तथा अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 स्व0 नाथूराम पुत्र बेगाराम जाति जाट के वंशज है, जिनकी वंशावली इस प्रकार से है:–

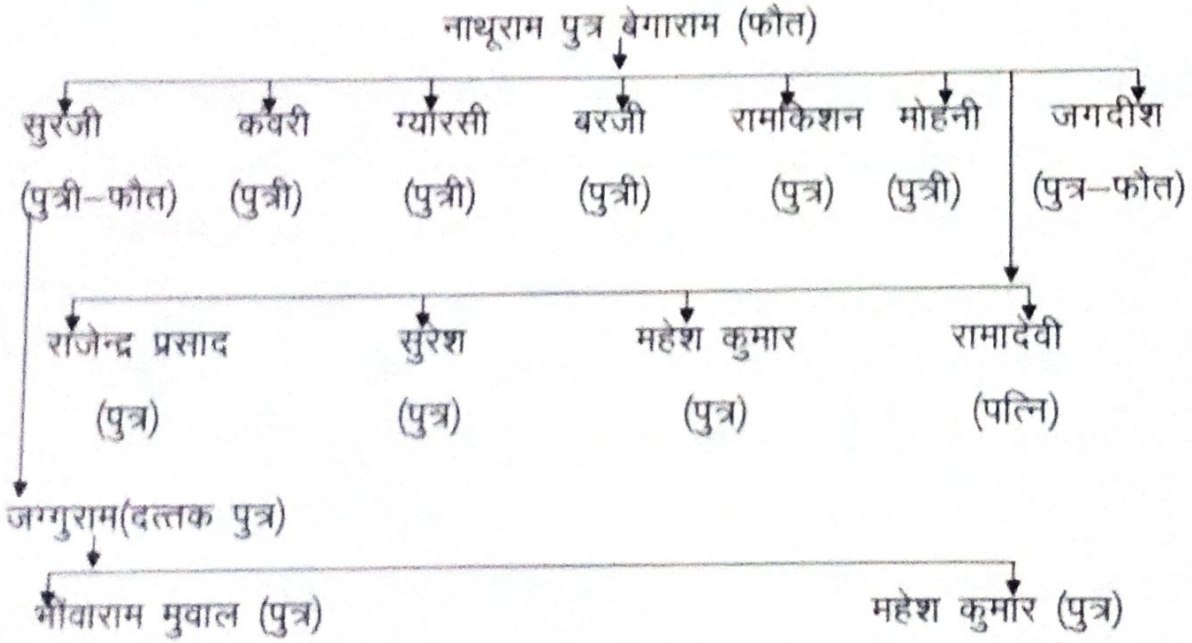

वादग्रस्त भूमियां पुराने ख0न 23, 155/2, 185/2, 187, 216, 278/1 कुल किता 7 कुल रकबा 52 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है तथा भूमि पुराने ख0न0 36, 37 38, 39, 40, 41 कुल किता 6 कुल रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है तथा भूमि पुराने ख0न0 162, 163, 164, 165, 166 167, 168, 169, 170 कुला किता 9 कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

के तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियों के नये ख0न0 37, 38, 39, 223, 310, 388, 389, 391, 642, 311/724, 38/758 तथा नये ख0न0 79, 80, 81 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 तथा भूमि नये ख0न0 328 से 352 एवं ख0न0 327/731 गत भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये है। उपरोक्त भूमियो में से भूमि पुराने ख0न0 23, 155/2, 185/2, 187, 216, 278/1 सम्पूर्ण की खातेदारी पूर्व में अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के पिता/पूर्वज नाथूराम पुत्र बेगाराम कौम जाट साकिन देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा भूमि पुराने ख0न0 36, 37, 38, 39, 40 व 41 में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के पिता/पूर्वज नाथूराम पुत्र बेगाराम कौम जाट हिस्सा 3 आना 2 पाई की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मेकं दर्ज रही है तथा भूमि पुराने ख0न0 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 किता 9 कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा में अपीलार्थीनी एव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के पिता–पूर्वज के नाम 8 पाई की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। अपीलार्थिया के पिता नाथूराम पुत्र बेगाराम की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 प्रथम श्रेणी के वारिश है। मृतक एवं उसके वारिश धर्म से हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्व0 नाथूराम की विरासत का नामान्तकरण अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 6 एव रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की दादी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति के नाम भरा जाकर तस्दीक किया जाना चाहिए था परन्तु अपीलाधीन नामान्तकरण केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति के अकेलो के नाम तस्दीक कर दिया गया है जो कानूनं विधि विरूद्ध होने के कारण कायम रखे जाने योग्य नही होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत पदाधिकारी द्वारा विधि एवं नियमों की कोई पालना नहीं की गई नामान्तकरण अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा किसकी तारीख को तस्दीक किया गया इसका कोई अंकन नहीं है इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण विधि एवं नियम विरूद्ध होने के कारण भी स्थिर रखने योग्य ही नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य

है। पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त नामान्तकरण में यह अंकित किया गया है कि खातेदार नाथूराम के फौत हाने पर इनके लड़को के नाम नामान्तकरण भरा जाकर पेश है। ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक खातेदार नाथूराम के समस्त विधिक वारिसान के बारे में कोई जांच नहीं की गई इस कारण भी अपीलाधीन नामान्तकरण कायम रखे जाने योग्य नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण में तस्दीक करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के कब्जे की कोई जांच नही की गई है। इस कारण भी नामान्तकरण निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तकरण में ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा मजमा आम में तस्दीक नहीं किया गया बल्कि बाला–बाला ही तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अविलम्ब ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा अपीलांट को किसी तरह की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । इस कारण अपीलधीन नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट कानून कायदों सें अनभिज्ञ ग्रामीण प्रवृति की अनपढ़ पर्दानशीन महिलायें है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 71 को तस्दीक किये जाने से पूर्व उन्हें किसी तरह की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। इस कारण उन्हें पूर्व में अपीलाधीन नामान्तकरण के बारें में कोई जानकारी नहीं हुई। दिनांक 08.06.2020 को जब अपीलांट वादग्रस्त भूमियों में से अपने हक हिस्से की भूमियों की देखभाल करने गई तो रेस्पोडेन्ट भूमियों के नये ख0न0 264, 308, 309, 311, 264/704, 265/746, 265/753 गत भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व रिकार्ड के कायम किये गये है। उपरोक्त भूमियों की खातेदारी अपीलार्थीनी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज नाथूराम पुत्र बेगाराम के नाम 4 पाई भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। नाथूराम पुत्र बेगाराम फोत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 99 से खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पति के अकेलों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली जो कतई विधि विरूद्ध होने के कारण कायम रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत

धोलासरी द्वारा विधि एव नियमों की कोई पालना नहीं की गई नामान्तकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कितनी तारीख को तस्दीक किया गया इसका कोई अंकन नहीं है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण विधि एवं नियम विरूद्ध होने के कारण भी स्थिर रहने योग्य ही नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के कब्जे की कोई जांच नहीं की गई है। इस कारण भी नामान्तकरण निरस्तनीय है। अपीलाधीन नामान्तकरण में ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा मजमा आम में तस्दीक नहीं किया गया बल्कि बाला–बाला ही तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अविलम्ब ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा अपीलांट को किसी तरह की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण अपीलधीन नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट कानून कायदों से अनभिज्ञ ग्रामीण प्रवृति की अनपढ़ पर्दानशीन महिलायें है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 71 को तस्दीक किये जाने से पूर्व उन्हें किसी तरह की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। जिसके कारण उन्हें पूर्व में अपीलाधीन नामान्तकरण के बार में काई जानकारी नहीं हुई। दिनांक 80.06.2020 को जब अपीलांट वादग्रस्त भूमियों में से अपने, हक हिस्से की भूमियों की देखभाल करने गई तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपीलांट को यह धमकी दी कि इन जमीनों की खातेदारी में आपका नाम नहीं अंकित है। आयन्दा वादग्रस्त भूमियों पर आने की चेष्टा मत करना। इस प्रकार अपीलांट द्वारा वकील से सम्पर्क कर जानकारी करके अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल दिनांक 10.06.2020 को प्राप्त हुई तो अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी से यथा शीघ्र अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी के अभाव में अपील दायरी में हुआ विलम्ब माफ किये जाने योग्य है। इस संबंध में अलग से भी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियिम प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामान्तकरण शुन्यता की श्रेणी में आता है ऐसे मामलों में मियाद बिन्दू गौण होता है। अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 8 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत

5 से दुरभि संधि कर रखी है। इस कारण वे अपीलांट के साथ अपील दायरी में शामिल नहीं हुई जिसकी वजह से उन्हें प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्टस के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत धोलासरी पंचायत समिति दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा भरा गया है। इसलिए माननीय न्यायालय को अपील हाजा सुनवाई का समुचित क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की बहिन सुरजी देवी पुत्री नाथूराम पत्नि हरदेवाराम के दत्तक पुत्र जगूराम के पुत्रान है। सुरजीदेवी दिनांक 11.03.2020 को फौत हो चुकी है तथा जगूराम दिनांक 19.09.2017 को फौत हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 जगूराम पुत्रान है जो अपील दायरी के समय अपीलांट के साथ नहीं होने से इन्हें रेस्पोडेन्ट फरफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। अंत में अपील प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 71 दिनांक निल बतस्दीक ग्राम पंचायत धोलासरी तहसील दांतारामगढ को निरस्त फरमाया जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से वकील श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या हाजिर आयें तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 6 की ओर से जरिये वकील ने जबाब आवेदन पेश कर कथन किया कि आवेदन की अपीलांट्स को उक्त नामांतरण की शुरू से ही जानकारी थी। उक्त नामांतरण जिस समय भरा गया था उस समय से ही प्रार्थीयांगण को जानकारी थी, उक्त नामांतरण भरे जाने के समय अपीलांटस संख्या 1 की उम्र करीब 18 वर्ष थी जो उक्त नामांतरण से भली भांति परिचित थी, प्रार्थीयागण अपने अपने ससुराल में रहती है तथा वादग्रस्त भूमियों पर शुरू से ही जबाबदाता/अनावेदक जबाबदाता ने काफी खर्चा कर शादियां की थी व शादी के समय जबाबदाता अनावेदक ने ही अपनी कमाई से खर्चा किया था जो शादी के समय जबाबदाता अनावेदक ने ही अपनी कमाई से खर्चा किया था जो शादी के बाद से अपने अपने ससुराल में रह रही है, जिसका उक्त

भूमि से कोई वास्ता नहीं है अपीलांट्स भू माफियां लोगों के बहकावें में आकर झूठा मुकदमा किया है, तथा अपीलांट्स को उक्त नामांतरण की नामांतरण भरने के समय से पूर्व ही पूर्ण जानकारी थी, जो आवेदिका ने बिना किसी आधार के नामांतरण भरने के 46 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट्स को हैरान व परेशान करने के लिए किया है जो अपीलांट्स द्वारा नामांतरण भरने के 46 वर्ष बाद भरा गया नामांतरण कतई चलने योग्य नहीं है। अपील आवेदन पर बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई।

3. अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 23.01.1973 को तस्दीक किया गया। वर्तमान अपील के द्वारा अपीलान्ट्स ने अपने पिता की पैतृक भूमि के संबंध में दर्ज नामांतरण संख्या 71 को खारिज करवाकर भूमि में हिस्सा चाहा है। परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, में संशोधन, 2005 उपरांत ही पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हक हिस्सा दिया गया था। उक्त संशोधन उपरांत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था। परन्तु धारा 6(1) के परंतुक में यह भी लिखा गया की यह संशोधन उन भूमियों पर प्रमाणित नहीं होगा जिसका विभाजन या वसीयती व्यय 20 दिनांक 2004 से पूर्व किया गया था। वर्तमान अपील में नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 23.01.1973 हो चुका है। अतः धारा 6(1) के परंतुक से प्रभावित होने से नामांतरण खारिज नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भोयर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ